



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 14 मार्च, 2026

फाल्गुन 23, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-2

संख्या 585/नौ-2-2026-56(सा)-20

लखनऊ, 14 मार्च, 2026

अधिसूचना

प0आ0-44

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय जनपद-मुरादाबाद में निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित नगर पालिका परिषद में नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के रूप में नामित करते हैं:-

जिला	निकाय का प्रकार	निकाय का नाम	क्र०सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
मुरादाबाद	नगर पालिका	बिलारी	1	श्रीमती गीता कोली	श्री गोपाल प्रकाश आर्य	मोहल्ला महाजनान, बिलारी
			2	श्री श्रीकान्त गुप्ता	स्व० रामभरोसे लाल	फार्म सेण्टर नीयर कोतवाली, बिलारी
			3	श्री मनोज ठाकुर	श्री पदम सिंह	ठाकुरान, बिलारी
			4	श्री दिनेश प्रजापति	श्री लेखराज सिंह	सिद्धार्थनगर, बिलारी
			5	श्री हेमन्त शर्मा	श्री सुन्दर लाल शर्मा	बाजार नई सड़क, बिलारी

1	2	3	4	5	6	7
	नगर पालिका	ठाकुरद्वारा	1	श्री आशुतोष अग्रवाल	श्री रवि प्रकाश	मोहल्ला, पीपील टोला, ठाकुर द्वारा
			2	श्रीमती मोनिका रानी	श्री पवन पुष्पद	मोहल्ला मालियान, ठाकुर द्वारा
			3	श्री हेमेन्द्र प्रकाश	श्री हर प्रसाद	मोहल्ला जाटवान, ठाकुर द्वारा
			4	श्री सुधीर नायक	श्री माधव सिंह	मोहल्ला बन्जारयान, ठाकुर द्वारा
			5	श्रीमती अंशु वर्मा	श्री गौरव वर्मा	मोहला आर्यनगर, ठाकुर द्वारा

आज्ञा से,
पी० गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव।